

हरियाणा सरकार
खाद्य एवं पूर्ति विभाग
आदेश
दिनांक 13 जनवरी, 2017

संख्याएफ0जी0-1-2017/792:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अध्याय-XI (पारदर्शिता एवं जवाबदेही) तथा खंड 29 में दिये गये ब्यौरे अनुसार, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा निम्न राज्य निगरान समिति का गठन किया जाता है :-

क्र० सं०	ग्रामीण	क्र० सं०	शहरी
1	सरपंच	1	नगर निगम पार्षद (सम्बन्धित क्षेत्र)
2	पंच अनुसूचित जाति (यदि सरपंच अनुसूचित जाति से है तो पंच सामान्य जाति से)		
3	एक पुरुष/एक महिला लाभार्थी एक विकलांग, एक विधवा तथा ओ0पी0एच0 परिवार)	2	एक पुरुष/एक महिला लाभार्थी एक विकलांग, एक विधवा तथा ओ0पी0एच0 परिवार)
4	एक पुरुष/एक महिला लाभार्थी पिछड़ी जाति (एक बीपीएल तथा एक ए0ए0वाई0 परिवार)	3	एक पुरुष/एक महिला लाभार्थी पिछड़ी जाति (एक बीपीएल तथा एक ए0ए0वाई0 परिवार)
5	एक पुरुष/एक महिला लाभार्थी अनुसूचित जाति (एक बी0पी0एल0 तथा एक ए0ए0वाई0 परिवार)	4	एक पुरुष/एक महिला लाभार्थी अनुसूचित जाति (एक बी0पी0एल0 तथा एक ए0ए0वाई0 परिवार)

उपरोक्त कमेटी पी0डी0एस0 वस्तुओं की मासिक आवक तथा वितरण का सत्यापन करते हैं, जिसका वितरण उचित मूल्य की दुकान द्वारा किया जाता है।

एस.एस. प्रसाद
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक एफ0जी0-1-2017/793

दिनांक, चण्डीगढ़: 13.01.2017

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा सरकार।
2. निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा सरकार, सैक्टर-28, चण्डीगढ़।
3. निदेशक, शहरी निकाय विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
4. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य में।
5. सभी पुलिस अधीक्षक, हरियाणा राज्य में।
6. उप-मण्डल अधिकारी (ना0)।
7. सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, हरियाणा राज्य में।

उप-निदेशक (पी0डी0एस0)
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग चण्डीगढ़।